

अमर उजाला 19/09/2023

गरिमा को कमजोर करता है यौन उत्पीड़न : गुरमीत

संवाद न्यूज एजेंसी

अंबाला। छावनी के जीएमएन कॉलेज में कानूनी साक्षरता सेल की ओर से सोमवार को 'यौन उत्पीड़न और इसके खिलाफ उपाय पर' विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के एडवोकेट गुरमीत कौर ने विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूक किया।

उन्होंने वक्तव्यों को उदाहरणों से समझाया और यौन उत्पीड़न रोकने के उपाय बताए। संयोजक डॉ. सुरेंद्र सिंह कुंडू ने कहा कि शिक्षक स्पष्ट, व्यापक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाकर इस प्रकार के मामलों को रोक सकते हैं। मुख्य अतिथि ने कहा कि ये एक प्रकार का भेदभाव है। जब किसी का स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और अन्य संस्थानों में यौन उत्पीड़न किया जाता है तो यह उनकी



जीएमएन कॉलेज में व्याख्यान पर छात्राओं को संबोधित करती वक्ता। संवाद

व्यक्तिगत गरिमा और सुरक्षा की भावना को कमजोर कर सकता है। उनकी शिक्षा को बाधित कर सकता है और जीवन में उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने की इच्छा को बाधित कर सकता है। डॉ. रचना खन्ना ने बताया कि चिंता, अवसाद, बाधित नींद, भूख न लगना, नियमित गतिविधियों में रुचि की कमी, सामाजिक अलगाव और भावनाएं शामिल हो सकती हैं। छात्र इससे निपटने के लिए नशीली दवाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं।